सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 33/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–20.02.2024

GCMS ID–2024/173

1. चतर्भुज सैनी आ0 उदालाल जाति माली निवासी डुंगरिया का बरडा चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार। दिनांक :– 10/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 253 खसरा संख्या 1003, 1017, 1019, 1055, 890, 903, 910, 957, 994 कुल किता 09 कुल रकबा 1.9667 हैक्टेयर वाके ग्राम चेंता पटवार मण्डल चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम भज्जा पिता उदा दर्ज है जो अशुद्ध एवं गलत है जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी का नाम चतुर्भुज पिता श्री उदालाल सैनी है। प्रार्थी के सभी सरकार दस्तावेज जिनमें फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जॉब कॉर्ड, भामाशाह कार्ड, निर्वाचन नियमावली, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम चतर्भुज पिता उदालाल ही दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड यानि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम भज्जा पिता उदा दर्ज हो गया है जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश हुआ है। कानूनन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों को मजबे आम में पूछताछ करनी चाहिए व प्रार्थी को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी को सुने बिना ही प्रार्थी का नाम भज्जा पिता उदा दर्ज कर दिया गया है उक्त इन्द्राज प्रार्थी के हितों के विपरित है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात ने नाम चतर्भुज पिता उदालाल होने से एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का भज्जा पिता उदा अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर दी जा रही सुवधिाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है और न ही भूमि पर बैंक से के0सी0सी0 व ऋण वगेरा ले पा रहा है क्योंकि जब तक पहचान के दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का नाम सही नहीं होगा तब तक प्रार्थी को किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पायेगा और नाहि लाभ दिया जा रहा है प्रार्थी के सही नाम यानि राजस्व रिकॉर्ड में भज्जा पिता उदा दर्ज होने व अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों मे चतर्भुज पिता उदालाल दर्ज होने से प्रार्थी किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थी ग्रामीण प्रवेश की वृद्ध व कमजोर व्यक्ति है जो कानूनी पेचेदगियो को नहीं समझता है, प्रार्थना पत्र चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु प्रार्थी बैंक व प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना में आवेदन किया तो अपने दस्तावेजात बैंक में पेश किये तो बैंक मेनेजर ने प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड व पहचान के अन्य सभी सरकार दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम अलग-अलग होने से ऋण देने मना कर दिया है व भूमि को भारग्रस्त करने इन्कार कर दिया है। और प्रार्थी से नाम दुरूस्त करवाकर लाने की हिदायत दी तब प्रार्थी ने तहसीलदार हिण्डोली के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करने का अनुरोध किया लेकिन तहसीलदार साहब ने नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और कहां कि इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को है ऐसी स्थिति में न्यायालय से आदेश लाने बिना हमउ क्त नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त नही कर सकते। तहसीलदार साहब द्वारा इन्द्राज दुरूस्त कर देने से इन्कार कर देने से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। श्रीमान के लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर की हैसियत से इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चेंता पटवार मण्डल चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 253 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1003, 1017, 1019, 1055, 890, 903, 910, 957, 994 कुल किता 9 कुल रकबा 1.9667 हैक्टेयर वाके ग्राम चेंता पटवार हल्का चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थी का नाम के इन्द्राज को दुरूस्त कर भज्जा पिता उदा के स्थान पर चतर्भुज पिता श्री उदालाल दर्ज किये जाने की (घोषणा) आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :- राजस्व/24/460 दिनांक :-16.07.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम चेंता की भूमि खाता संख्या 253 कुल किता 9 कुल रकबा 1.9667 भूमि प्रार्थी के पिता उदा आ0 नारायण के खातेदारी में दर्ज थी, जिसमें फौती नामान्तकरण व विभाजन नामान्तकरण से खसरा संख्या 1017 में प्रार्थी का नाम भज्जा आ0 उदा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/सहखातेदारों को उक्त खसरा नम्बरों में दर्ज भज्जा पिता उदा व चतुर्भुज़ एक ही व्यक्ति का नाम है जिनको चतुर्भुज पिता उदालाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम चतुर्भुज पिता उदालाल है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड व बैंक डायरी, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम चतुर्भुज पिता उदालाल बेगम दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम चेंता पटवार मण्डल चेंता के खाता संख्या खाता संख्या 331 खसरा संख्या 1017 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में दर्ज भज्जा पुत्र उदा के स्थान पर चतुर्भुज पिता उदालाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 10.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

10/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446